राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No. P-2/45/2024 Shri Prakash Ishrani, Partner, SHRI KRISHNA MINES AND MINERALS, 4/1 Sanjay Complex Near Mata Mandir, TT Nagar Bhopal. Prior Environment Clearance for SAND STONE (DIMENSION STONE Quarry in an area of 4.00 ha. (SAND STONE (DIMENSION STONE)- 5235) (Khasra No. 23 एवं 23/2) ग्राम मिर्जापुरपाली तसहील एवं जिला रायसेन (म.प्र.)-B-2.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Prakash Ishrani,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Prakash Ishrani, Partner, SHRI KRISI	HNA MINES AND MINERALS,
परियोजना का नाम व पता	4/1 Sanjay Complex Near Mata Mandir, 1	T Nagar Bhopal
खसरा नं./ क्षेत्रफल	23 एवं 23 / 2 (निजी भूमी)	4.00 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम मिर्जापुरपाली तसहील एवं जिला राय	सेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	रायसेन के पत्र क्रमांक 895

	दिनांक 19 / 6 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा SAND STONE (DIMENSION STONE)- 5235	
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार SAND STONE (DIMENSION STONE - 5235 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	,	
अन्य खदानें	कुमांक 1433 दिनांक 09/8/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	
	कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी	
	का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र	
अनापत्ति	क्रमांक 1433 दिनांक 09/8/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं	
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र	
	कमांक 1433 दिनांक 09/8/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय	
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान	
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,	
	दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला	
	नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सांची जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 24 दिनांक	
की अनापत्ति	16/3/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को	
च्या जा गांगारत	कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-02	
	Felling - No	
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण पूर्व दिशा में आबदी लगभग 450 मी. एवं कच्चा रोड लगभग	
वर्तमान स्थिति	325 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की		
रिथति	कर ली जावेगी ।	
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण	
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक	
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306	
	दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण	
	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय	
	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:--

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता SAND STONE (DIMENSION STONE)-5235 घनमीटर / वर्ष ।
- खदान क्षेत्र के चारों ओर कृषि भूमि है, अतः 25 मी. छोडकर खनन कार्य किया जावें। पत्थर के परिवहन हेतु आसपास के किसानों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.76 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.55 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 5. 01 वर्ष में पर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इकलौद मे एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ और 1 माइक्रैंस्कैंप	60,000
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण ६ माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000
कुल योग	70,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वक्षों का वक्षारीपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	2200
2	परिवहन मार्ग	करंज, कदम , चिरोलए जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव 🖊 मृत पौधों का बदलाव खनन् अविधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति / कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. <u>Case No P2/30/2024 Shri UPENDRA SENGAR, Project Proponent, Ward No. 6</u>
<u>Bahera Dabar Mauganj, Rewa Pin no. 486331. Prior Environment Clearance for Harraha Quarry Lease in an area of 1.00 ha. (12059 cum per year) (Khasra No. 8/13), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri UPENDRA SENGAR, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामप्रसाद, ऑनलाईन मेसर्स Forest Environment and Climate Change Management Consultancy (FECCM) Pvt Ltd. Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri UPENDRA SENGAR, Project Proponent, Ward No. 6 Bahera	
परियोजना का नाम व पता	Dabar Mauganj, Rewa Pin no. 486331.	
खसरा नं. / क्षेत्रफल	8/13 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड भू-स्वामी 1.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)	की सहमति परियोजना प्रस्तावक को	
	प्राप्त है)	
स्थल	ग्राम HARRAHA तसहील Mauganj जिला Rewa (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 9238	
	दिनांक 22 / 09 / 18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया रीवा के पत्र क्रमांक 358 दिनांक 01/10/18 के द्वारा	
(यदि लागू हो)	पत्थर—12,059 घनमीटर वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—12,059	
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—12,056 घनमीटर / वर्ष हेतु	
	है।	
500 मीटर की परिधि में		
अन्य खदानें	कमांक 3311 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11	
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.948 हे.	
	होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 3311 दिनांक 17/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र
	क्रमांक 3311 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,
	दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/
	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला
	नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–10 दिनांक
की अनापत्ति	26 / 01 / 18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 3312
स्थिति	दिनांक 17/10/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला
	सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- $8. \quad \text{Top soil management with soil profile:} \\$
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- $10.\ \mbox{EC}$  transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):

- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 28. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. Case No P2/36/2024 Shri Sunil Kumar Khare Proprietor Shiva Engineering, 100 G, Gali No. 4, Near Hanuman Mandir, Dhawari, Raghuraj Nagar, Satna, Madhya Pradesh – 485001. Prior Environment Clearance for Kulkhat Laterite Mine in an area of 1.299 ha. (40693 TPA) (Khasra No. 39/1, 40, 41, 42/1P), Village-Kulkhat, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP) .B-2.

प्रस्तावित लेटराईट खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील कुमार खर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Aseries Envirotek India Pvt Ltd उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Sunil Kumar Khare Proprietor Shiva Engineering, 100 G, Gali No. 4,	
परियोजना का नाम व पता	Near Hanuman Mandir, Dhawari, Raghuraj Nagar, Satna, Madhya Pradesh - 485001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	39/1, 40, 41, 42/1 (Pvt. Land) 1.299 hectare.	
स्थल	Village-Kulkhat, Tehsil-Majhgawan, District - Satna,	
	Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालयं कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 11548	
	दिनांक 29 / 8 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । (एन.ए)	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite - 40693 Tons per Annum (TPA)	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
	40693 Tons per Annum है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक 2189 दिनांक 09/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा .
	< 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रकरण बी $-2$ श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 2189 दिनांक 09/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2189
	दिनांक 09 / 11 / 23 अनुसार 300 मीटर पर आबादी एवं 600 मीटर
	की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की
	परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत बीरपुर जिला सतना के पत्र दिनांक 10/3/23 अनुसार
की अनापित्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-24
	Felling - 12
गूगल इमेज अनुसार	Additional tree to be planted -240 दक्षिण पश्चिम दिशा में आबादी लगभग 329मीं
वर्तमान स्थिति	
AN II I I VAIN	पूर्व दिशा— पक्की रोड लगभग 48 मी. 52 मी का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
_ '	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2188
स्थिति	दिनांक 09/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट में
	जोड़ दी जावेगी
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306
	दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण
	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुक्तम — 40693 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.72 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 4.42 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किण्डका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 4. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
- 5. खदान क्षेत्र में स्थित 24 पेड में से 12 पेड काटे जाना प्रस्तावित है, अतः इस सबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगें।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
शासकीय स्कूल, कुलखत में 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 अलमारी व शेष राशि स्कूल के शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	1,00000
Total	1,00000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1560 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	690
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	गैर खनन क्षेत्र	आंवला, कटहल, महुआ, आम, अमरूद बेल, इमली, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	280

4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	730
5	ग्राम मझगांव के पुलिस थाने में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर, ।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 7334/2020 Shri Dharmendra Rai, Owner, Ward no.-13, Raghurajganj Harpalpur, Nanugaon, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for UDAYPURA STONE MINE in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 696P), Village-Udaypura, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) EIA.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक .20/02/2024. को परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेंद्र राय, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, ऑनलाईन, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Dharmendra Rai, Owner, Ward no13, Raghurajganj Harpalpur,
परियोजना का नाम व	Nanugaon, Chhatarpur (M.P.)
पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	696(P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.
(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village Udaypura, Tehsil Rajnagar District Chhatarpur (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 3028
	दिनांक 15 / 12 / 17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 448वीं बैठक दिनांक 23/07/20 को अनुशंसित, सेक के पत्र
	क्रमांक ४१४ दिनांक ११ / ०८ / २० के द्वारा पत्थर—60,000 घनमीटर / वर्ष के
	लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा
	ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–60,000
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—60,000 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि	
में अन्य खदानें	कमांक 1030 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04
	अन्य खदानें स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	कमांक 1030 दिनांक 16/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1030 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग /
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अंड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनापत्ति	02 / 10 / 2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	Tree Existed- Yes
वृद्धा यम यसमाम   स्थिति	Felling - No
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा में पक्का रोड लगभग 416 मी.
વલનાન ભ્લાલ	
0 7	पूर्व दिशा में आबादी लगभग 340 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—36 के सरल क्रमांक—24
	पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के
	सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार
	परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।
	,

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर 60,000 घनमीटर / वर्ष, एम–सेंड – 5000 घनमीटर / वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 10560 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.92 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 7.75 लाख प्रति वर्ष
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमित नही दी जा सकेगी।
- 4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम उदयपुरा में स्कूल के अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु पक्की बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए 1,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से भू – प्रवेश के तीन माह के अंदर दी जावेगी ।	1,00,000
Total	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	सागौन, काला सिरस, <b>जंगल जलेबी</b> नीम खमेर, एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	काला सिरस, नीम, भीष्म (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	3200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 8277/2021 M/S K.R.B. MINERALS, Near Gayatri Mandir, Jawahar Road, District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for CHHATHI BAMHORI GRANITE DEPOSIT MINE in an area of 3.875 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 1640/1), Village-Chhathi Bamhori, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP). EIA.</u>

प्रस्तावित ग्रेनाईट खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजेश गुप्ता, पार्टनर, ऑनलाईन, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	M/S K.R.B. MINERALS, Near Gayatri Mandir, Jawahar Road, District		
परियोजना का नाम व पता	Chhatarpur (M. P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	1640/1(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.875 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Chhathi Bamhori, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक		
	7986—89 दिनांक 09 / 05 / 18 द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
टॉर	सेक की 488वीं बैठक दिनांक 10/03/21 को अनुशंसित, सिया के		
	पत्र कमांक 1289 दिनांक 28/06/21 के द्वारा ग्रेनाईट—1800		
	घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार		
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की		
	गई है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट—1800		
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना		
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट—1800 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	·		
अन्य खदानें	कमांक 892 दिनांक 28 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06		
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.75 हे.		
	होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।		

I—पत्र पन्ना य 10 जोन
य 10
जोन
-
ा–पत्र
ो पर
देनांक
त को
ने की
सरल
विरण,
ई एवं
कार्यो

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 1800 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.60 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. लीज क्षेत्र के उत्तर— पश्चिम दिशा में एवं दक्षिण— पश्चिम दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय छठी बम्होरी के	70,000

पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	
Total	70,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4650 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, सीताफल इत्यादि एवं	2000
		अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	150
3	खदान के नॉन-माइनिंग जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, सीताफल इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, अमरुद एवं अन्य फलदार पौधे की प्रजातियाँ	2450

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No P2/31/2024 Shri Sandesh Jain, Attorney Holder, M/S KARAM CHAND ASSOCIATES, Civil Lines, Katni (M.P.). Prior Environment Clearance for SALAIYA PAHARHAI LIMESTONE MINE in an area of 26.57 ha. (15,00,610 TPA) (Khasra No. 75/1, 75/2 (PART), 74 (PART), 100 (PART), 103/1 (PART), 103/2 (PART), 103/3 (PART), 134 (PART), 135), Village-Salaiya Paharhai, Tehsil-Vijayraghogarh, District-Katni (MP). TOR.

प्रस्तावित लाईम स्टोन खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संदेश जैन, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज						
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Sandesh Jain, Attorney Holder, M/S KARAM CHAND ASSOCIATES, Civil Lines, Katni (M.P.)						
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	75/1, 75/2 (PART), 74 (PART), 100 26.57 hectare. (PART), 103/1 (PART), 103/2 (PART), 103/3 (PART), 134 (PART), 135, (निजी —नॉन फॉरेस्ट लेंड, इन खसरों में कुछ परियोजना प्रस्तावक स्वयं है और अन्य भू—स्वामियों की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)						
स्थल	Village- Salaiya Paharhai, Tehsil Vijayraghogarh, Dist Katni, Madhya Pradesh.						
लीज स्वीकृति	पूरक अनुबंध दिनांक 11 / 09 / 18.						
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।						
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार ।						
पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का							
पालन प्रतिवेदन	अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जावेगी ।						
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता LIMESTONE - 5,00,940 TPA to 15,00,610 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता LIMESTONE - 5,00,940 TPA to 15,00,610 TPA है।						
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	अनुसार प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदानों की जानकारी लागू नहीं है ।						
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी पत्र कमांक 5115 दिनांक 26/09/20 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।						
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी के पत्र क्रमांक 287 दिनांक 20 / 10 / 20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में डायर्स सलैया पहरहाई की बस्ती, सलैया पहरहाई की अंश बस्ती एवं शा. प्रा.शाला डायर्स सलैया स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।						
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/1/24 के बिंदु कमांक—7 अनुसार ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव की प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ						

				प्रस्तुत की	जावेगी								
जिला	सर्वेक्षण	रिपोर्ट	की	प्रस्तावित		मुख्य	खनिज	होने	के	कारण	जिला	सर्वेक्षण	रिपोर्ट
स्थिति				लागू नहीं	है ।								

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण लाईम स्टोन की उत्पादन क्षमता अधिकतम् उत्पादन क्षमता LIMESTONE - 5,00,940 TPA to 15,00,610 TPA का है It being a case of major minerals committee recommended to issue standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TORs:-

- 1. Verifiable proof of compliance of old E.C conditions
- 2. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. लीज एरिया में निजी एवं शासकीय भूमि शामिल है, अतः भूमिस्वामी—वार, रकबा एवं खनन कार्य का विवरण प्रस्तुत करें ।
- 5. Top soil management plan be discussed in the EIA report.
- 6. Ground water recharge study of the nearby area be carried out by the PP and same should be discussed in the EIA report.
- 7. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 8. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 9. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

7. Case No P2/35/2024 Shri VIKASH PULORIYA, 149, Radhavallabh Market Khargone Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for CRUSHER STONE AND M- SAND QUARRY in an area of 2.00 ha. (Gitti-10,000.5, M-sand-10,000.5 cum per year) (Khasra No. 07), Village-Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024. को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास पुरोलिया, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज,संचालक Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri VIKASH PULORIYA, 149, Radhavallabh Market Khargone Madhya			
परियोजना का नाम व पता	Pradesh.			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	7 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.0 hectare.			
(सरकारी / निजी)				
स्थल	ग्राम Mominpura तसहील Khargone जिला Khargone (म.प्र.)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के पत्र क्रमांक 453			
	दिनांक 23 / 5 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।			
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti 10,000.5 घनमीटर / वर्ष and M-sand			
	10,000.5 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में	, , ,			
अन्य खदानें	कमांक 1607 दिनांक 23 / 11 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01			
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.0 हे. होता			
	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के एकल प्रमाण-पत्र			
अनापि्तत	क्रमांक 1607 दिनांक 23/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि			
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं			
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर के एकल प्रमाण-पत्र			
	क्रमांक 1607 दिनांक 23/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में			
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय			
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान			
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,			

	दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/
	तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला
	नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सिवरोडा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 12
की अनापत्ति	दिनांक 27/10/20217 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से
	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - Yes
	Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा— कच्ची रोड लगभग 15 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 35
वर्तमान स्थिति	मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है। लीज एरिया में पूर्व दिशा में
	कुछ शेड है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वहां कोई रहवासी नहीं
	है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
रिथति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.59 के सरल
	कमांक-91 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पहले यह लीज किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक को मिली थी, जो कि वर्तमान परियोजना प्रस्तावक को लीज हस्तातंरण हुई है परन्तु ई.सी. ट्रांसफर नहीं हुई है, अतः यह प्रकरण ई.सी ट्रांसफर के पश्चात ई.सी. अमेन्डमेन्ट का प्रकरण है। अतः प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

8. Case No P2/32/2024 Ms. NEELAM RAMDIYA, Lessee, Makan No 5/1, ward 20, Ashta Road shujalpur Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Hirana Stone Quarry in an area of 3.266 ha. (Stone-17242, Murrum-9546 cum per year) (Khasra No. 635/2, 629/4, 629/5, 629/1, 629/2/4, 632/1, 632/2), Village-Hirana, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP) [DEIAA] ToR.

प्रस्तावित पत्थर एवं मुरूम खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Ms. NEELAM RAMDIYA,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज				
परियोजना प्रस्तावक,	NEELAM RAMDIYA, Lessee, Makan No 5/1, ward 20, Ashta Road				
परियोजना का नाम व पता	shujalpur Madhya Pradesh.				
खसरा नं./ क्षेत्रफल	635/2, 629/4, 629/5, 629/1, 629/2/4, 632/1, 3.266 hectare.				
(सरकारी / निजी)	632/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना				
	प्रस्तावक स्वयं भी है और अन्य हिस्सेदारों				
	भू—स्वामियों की सहमति प्राप्त)				
स्थल	. Village Hirana, Tehsil Shujalpur, District Shajapur (M.P.).				
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज् शाखा) ज़िला शाजापुर के पत्र पृ. क्रमांक				
	780 दिनांक 23 / 09 / 17 के द्वारा स्वीकृत ।				
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।				
डिया ई.सी. का विवरण	डिया शाजापुर के पत्र कमांक 1495—1502 दिनांक 07/03/18 के				
(यदि लागू हो)	द्वारा पत्थर—17,242घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया / क्षमता विस्तार ।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—17,242 घन्मीटर / वर्ष एवं				
	मुरम—9,546 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित				
	खनन् योजना अनुसार पत्थर—17,242 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम—9,546				
	घनमीटर / वर्ष है।				
500 मीटर की परिधि में	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
अन्य खदानें	प्रमाण—पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 06/11/23 अनुसार 500 मीटर की				
	परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित् / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा				
	05.266 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।				
वन मण्डलाधिकारी की	, , ,				
अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 06/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर				
	की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव				
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।				
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल				
	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 06/11/23 अनुसार 500 मीटर की				
	परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व				
	धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक				
	भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :				
	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय				
	निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण				
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।				
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत					
की अनापि्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।				

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—42 के सरल क्रमांक—59 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- $14.\ \mbox{No}$  of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापित्त प्रमाण पत्र।
- 27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 28. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
  - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
  - Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

9. <u>Case No P2/37/2024 Shri SARSA SHARMA, 65-Sudama Nagar, Agar Road, Ujjain.</u> <u>Prior Environment Clearance for Shankarpur Stone Gitti Quarry in an area of 1.368 ha. (26066 cum per year) (Khasra No. 54/1, 54/2, 162/1P), Village-Shankarpur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SARSA SHARMA, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri SARSA SHARMA, 65-Sudama Nagar, Agar Road, Ujjain
परियोजना का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	54 / 1, 54 / 2, 162 / 1 (प्राईवेट —नॉन   1.368 hectare.
(सरकारी / निजी)	फॉरेस्ट लेंड)
स्थल	ग्राम शंकरपुर तसहील उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 4782
	दिनांक 08 / 4 / 22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 984 दिनांक 19/5/16 के द्वारा पत्थर—
(यदि लागू हो)	16511 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापित्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 26066 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 16511
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	कुमांक 10368 दिनांक 05 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी— श्रेणी
	का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 10368 दिनांक 05/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की
	परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 10368 दिनांक 05 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय

	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	न्गरपालिक निगम जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 140 दिनांक 10/02/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति  गूगल इमेज अनुसार	खदान क्षेत्र में लगभग 70 पेड है। उत्तर दिशा आबादी लगभग 100 मी.
वर्तमान स्थिति जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	पश्चिम दिशा में खदान के अंदर कुछ मकान व शेड है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—83 पर दर्ज है

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ नहीं बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान के अंदर पश्चिम दिशा में कुछ मकान व शेड है, अतः ग्राम पंचायत से इन मकान/शेड के बारे में एवं खदान क्षेत्र में लगभग 70 पेड है उनका संरक्षण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करें।

# 10. Case No 9673/2023 Smt. Lalita Patidar, Lessee, R/o H.No. 19/51, Maharana Bangla, District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Girdouda Stone For M-Sand Quarry in an area of 1.70 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 120), Village-Girdoda, Tehsil-Neemuch, District-Neemuch (MP) .B-2.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लिलता पाटीदार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Smt. Lalita Patidar, Lessee, R/o H.No. 19/51, Maharana Bangla, District-Neemuch (MP)-458441,			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(Khasra No. 120 Private Land) 1.70 hectare.			
स्थल	Village-Girdouda, Tehsil-Neemuch, District- Neemuch (MP)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 1435 दिनांक 14/11/23 के द्वारा स्वीकृत ।			
टॉर	सेक की 624 बैठक दिनांक 26/2/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 3257 दिनांक 29/03/23 के द्वारा पत्थर एवं एम—सेंड — 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।			
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा M-Sand 30,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर एवं एम—सेंड — 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र			

अन्य खदानें	क्रमांक 70 दिनांक 12/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.51 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	कमांक 70 दिनांक 12/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र
	क्रमांक 70 दिनांक 12/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व
	के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत गिरदोडा जिला जिला नीमच के पत्र दिनांक 18/8/22
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं
	है ।
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 260 मी. पर प्राकृतिक नाला है।
वर्तमान स्थिति	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
रिथति	अनुमोदित नवीन ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—23 के सरल
	क्रमांक—44 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन
	के सुझाव एवं प्राप्त् आपिततयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं
	आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो
	की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम—सेंड –
   30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.19 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 0.45. लाख प्रति वर्ष

- 3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम. सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 5. लीज क्षेत्र के उत्तर— दक्षिण—पूर्व दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम गिरदौड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,20000
Total	1,20000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	450
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	550
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No P-2/47/2024 Dr. Rajesh Kasliwal, Director, M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd., Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Jupiter Hospital" Indore(M.P.), at Survey No. 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 90/1, 91/2, 91/3, 92/2/1, 97/2 Village Chitawad & Plot No. 2, ring Road, Yojna No. 94, Sector-1 Tehsil Indore District Indore (M.P.). Total Built-up Area of the Project will be - 44216.1 m2.Cat: 8(a) Building / Cons. Project.

This is case for Proposed Expansion of "Jupiter Hospital" Indore(M.P.), at Survey No. 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 90/1, 91/2, 91/3, 92/2/1, 97/2 Village Chitawad & Plot No. 2, ring Road, Yojna No. 94, Sector-1 Tehsil Indore District Indore (M.P.). Total Built-up Area of the Project will be - 44216.1 m<sup>2</sup>.Cat:

### PP submitted following details on the Parivesh portal:

CNI	'P submitted following details on the Parivesh portal:						
SN	Information Required	CIA/MD/INIED	Details				
1.	Project	1 1 1	SIA/MP/INFRA2/459573/2024.  Dr. Rajesh Kasliwal, Director, M/s Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd., <i>Prior</i>				
2.	Project Name & Activity						
		Environment Indore(M.P.),a					
		97/2 Village					
		Tehsil Indore					
		be - 44216.1 m			-		e Project wiii
3.	Description of Project	M/s Jupiter Ho					on of "Juniter
٥.	Bescription of Frageet	Hospital" at S					
		Village Chitay	•				
		Indore Distric		_	•		
		Project will be		_	-	-	
4.	Project Cost (Lakhs)	Existing Proj	ect-		200 Lakh	S.	
		Proposed Pro	ject		259 Lakh	s.	
		Total Cost of the project 459 Lakhs.					
5.	EC Status	Expanssion Ca	ise.				
6.	MPSEIAA File Number	EC Identificati	on No EC2	2B038MP17	3908 , File No	o 8733/2	2021
	(Case No.8733/2021).	Date of Issue I	EC - 16/02/20	22. Built-u	p Area - 4227	6.00 Sqm	
7.	Built-up Area details	Area	Existing	Proposed	<b>Total Area</b>	Unit	Remarks
		Built-up	42207.76	2008.28	44216.04	Sq.m	Number of Bed
		Area					400 Nos.
		Total	18071.09	18071.09	18071.09	Sq.m	Plot Area No
		Land/plot					Change.
		area (sq. m)					
8.	latitude longitude details	22°41'3.22"N	latitude and 7	5°52'53.90"E	₹.		
9.	Water NoC		IMC letter No. 5722 dated 22/11/2015.				
	Solid Waste Disposal	IMC letter No. 29917 dated 09/11/2015.					
10.	Peremission	note letter 140	. =>> 1				

IMC letter No. 2581 dated 20/11/2015

**11.** Extra Treated water

	Permission	
12.	DG set capacity	2x1000 KVA each.
13.	MSW Generation	0.5 TPA. (Source Hospital).
14.	Biomedical Waste	43.8 TPA (Source Hospital Beds).
15.	CBWTF	Hoswin Incinerator Pvt. Ltd. (Common Bio Medical Waste Treatment Facility) for the period of JANUABY'2024 to DECEMBEB'2024 (JANUABY Two Thou,sa.jld Twenty Four to DECEMBER Two Thousand Twenty Four) for the treatment & disposal of the Solid Bio lyledrcal Waste generated at lheir 200 BED'S (Two Hundred Bed's) health care facility.
16.	RWH Pits	4 pits already has been provided.
17.	Proposed Parking	284 ECS.
18.	CTO/ Authorization details	Valid up to 31/12/2024,
19.	Environmental Consultant	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.),

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and Dr. Tushar Patil Authorized representative of PP wherein submitted following details of the project:

### **Salient Features of the Proposed Project:**

- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m<sup>2</sup> and < 150000 m<sup>2</sup>) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- ➤ Jupiter Hospital Projects Pvt. Ltd is a healthcare Hospital that lays its foundation on a 'Patient first' ideology.
- ➤ M/s Jupiter Hospital Projects Private Ltd is proposing the Expansion of "Jupiter Hospital", at Plot no. 2, ring Road, Yojna No. 94, Sector-1 Tehsil Indore District Indore.
- $\triangleright$  The total built-up area after expansion will be 44216.1 m<sup>2</sup>.
- ➤ PP has already obtained EC for 400 beds and built-up area of 42207.76 m², vide EC No. EC22B038MP173908 dtd. 16.12.2022, hence in the proposed expansion bed capacity will be the same, that is 400 Beds.

➤ Proposed expansion will be done in the 9<sup>th</sup> floor.

During presentation PP has submitted before the committee.

- PP submitted the structural certificate.
- PP submitted the certified compliance report.
- PP submitted the CA certificate as an proof for past CER.
- Revised CER details.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of <u>Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing Hospital Building. Total Plot Area-18071.00 m<sup>2</sup>, Total Built Up area after expansion-44216.1m<sup>2</sup>inM/s <u>Jupiter Hospital Projects Private Ltd, at Plot no. 2, ring Road, Yojna No. 94, Sector-1 Tehsil Indore District Indore.Madhya Pradesh (MP), Cat.8(a) subjects to the following special conditions: -</u></u>

### **Statutory Compliance**

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be

- obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
  - ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

### II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 02 DG Sets of 1000 KVA each, as a source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets of(2x1000 KVA)shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low Sulphur Diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### III. Water quality monitoring and preservation

- i. The BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP.
- ii. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- iii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iv. The total water requirement during operation phase is 288.34 KLD out of which 177.5KLD is fresh water requirement and 217.8KLD will be the total recycled water generated, the wastewater will be treated in STP (MBBR technology) of capacity of 250 KLD followed by ultra filtration out of which 100 KLD recycled water will be used for flushing, HVAC and 10.84KLD water will be used for horticulture.
- v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the

balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

- vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
  - ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
  - x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
  - xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiv. For rainwater harvesting, 04 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 40.09m³/hr.Mesh will be provided at the roofso that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xvi. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvii. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xviii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

- xix. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xx. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity 250 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening.
- xxi. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 250 KLD capacity (based on MBBR based technology) followed by ultra filtration and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxiii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiv. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

### IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of sixmonthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

### V. Energy Conservation measures.

i. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.

- ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- v. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- vi. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

### VI. Waste Management

- i. Total waste 885.98Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 801.48 Kg/day and non- organic waste 84.5 Kg/day), Inert waste 84.5 Kg/day, E- waste 594Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. Bio Medical waste, 800 Kg/day will be generated.
- iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

- vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
  - ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
  - x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
  - xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

#### VII. Green Cover

- i. Total 550 trees shall be planted in the area of 2168.53 m<sup>2</sup> (12 % of total plot area) within the project site.
- ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

### VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
  - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points
  - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iv. Total Parking's arrangement of 412 ECS (Basement-I & II-371 ECS, Open Parking-41 ECS).
- v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

#### IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may

be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

#### X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. For Environment Management PlanPP has proposed Rs.246 Lacs as capital and Rs. 38.5 Lacs as recurring cost for this project.
- ii. For Corporate Environment Responsibility PP hasproposed Rs 3.0 Lacs In addition with existing CER under Corporate Environment Responsibility(CER).

S.No.	Particulars	Year 2024-2025.			
1	Health awareness for	March	April	May Month-	June Month- 25,000 Rs
	heart disease, sugar,	month-	Month-	25,000 Rs at	at
	anxiety, etc. at	25,000 Rs at	25,000 Rs at	Holkar	New Govt. Law College.
	schools and colleges	Pratyansh	Jawaharlal	Science	_
	falling in 3 km radius	College of	Nehru Krishi	College.	
	of project site	Nursing.	College.	_	
	followed by first aid	July Month-	August	September	October Month- 25,000
	kit distribution.	25,000 Rs at	Month-	Month-	Rs at
		Shri Atal	25,000 Rs at	25,000 Rs at	Maheshwari Public High
		Bihari	MSB	Shri Agrasen	Secondary School.
		Vajpayee	Educational	School.	
		Govt.	Institute.		
		College.			
		November	December	January	February Month-
		Month-	Month-	Month-	25,000 Rs at
		25,000 Rs at	25,000 Rs at	25,000 Rs at	School of Education,
		Shri	Gurusharan	Guru Nanak	DAVV.
		Chaitanya	Public	Public	
		Techno	School.	School.	
		School.			
		Total			INR 3,00,000 /-

- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard

operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

- v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

#### XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

#### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No P-2/46/2024 Shri Raj Singh, S/o Harish Chandra Singh Chouhan, Ward No. 3, H.No.1, Civil Line Sidhi, Kotarkala Sidhi, Near SP Office, Kotaha, Sidhi, MP 486661. Prior Environment Clearance for Bharsedi Stone Quarry Capacity: 20,186 cubic meter per year Gitti having a lease area of 4.00 hectares, at Khasra No. - 10, 11, 12, 18, 20 Village -Bharsendi, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20 /02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Raj Singh, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Raj Singh, S/o Harish Chandra Singh Chouhan, Ward No. 3, H.No.1, Civil Line Sidhi, Kotarkala Sidhi, Near SP Office, Kotaha, Sidhi, MP 486661. Prior Environment Clearance for Bharsedi Stone Quarry Capacity: 20,186 cubic meter per year Gitti having a lease area of 4.00 hectares, at Khasra No 10, 11, 12, 18, 20 Village -Bharsendi, Tehsil - Sarai, District - Singrauli (M.P.).		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—10, 11, 12, एरिया— 4.00 ha., शासकीय भूमि		
परियोजना स्थल	18, 20, Village Bharsendi, Tehsil Sarai, District Singrauli (M.P.).		
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 1315 दिनांक 18/04/2022.		
परियोजना की श्रेणी	बी—1. टॉर प्रस्तावित		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting, (As per Parivesh Portal up-loaded information).		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Bhind letter no. 21 dated 30 /05 /2016.		
उत्पादन क्षमता	<ul> <li>स्टोन (गिट्टी) 20,186 घनमीटर / वर्ष ।</li> </ul>		
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल		
परिधि में संचालित / स्वीकृत	प्रमाण-पत्र क्रमांक 3783 दिनांक 31 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर		
अन्य खदानों का विवरण।	की परिधि में 03 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा		
	11.778 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		

परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 3783 दिनांक 31/10/2023 अनुसार 10
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव
	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल
जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 3783 दिनांक 31/10/2023 अनुसार 500 मीटर
	की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित
	नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत – भरसेड़ी, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क0.
नगर परिषद्	निरंक दिनांक निरंक द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
·	
जल / वायु सम्मति वैद्यता	Reference Number of Consent obtained from SPCB AW 105951
	date of issue 17/10/2022 Valid up to 31/03/2026.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
रिथति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 23 के सरल
	क्रमांक-02 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- $10.\ \mathsf{EC}\ \mathsf{transfer}\ \mathsf{details}\ \mathsf{(if}\ \mathsf{any)},\ \mathsf{old}\ \mathsf{EC}\ \mathsf{no}.....\mathsf{date}.....$
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. पुर्नरक्षित ग्राम पंचायत भरसेड़ी, जिला सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव चूिक पूर्व में जारी मे ठहराव प्रस्ताव में कृ0. एंव दिनांक अंकित नहीं है।
- 21. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 22. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 23. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 24. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 25. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापित्त प्रमाण पत्र।
- 28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 29. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

13. Case No P-2/55/2024 Smt. SHEETAL ROY, OWNER, R/o 104, Jai Enclave, Silver Spring, Phase 2, Bypass Mundla Nayata, District- Indore, Madhya Pradesh. . Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.80 ha. (Stone & 25000 Cubic meter per year) (Khasra No. 401/1), Village- Rafiqueganj, Tehsil- Sehore, District- Sehore, State- Madhya Pradesh (TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शीतल रॉय, ऑनलाईन, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र.उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्र	प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Smt. SHEETAL ROY, OWNER, R/o 104, Jai En	clave, Silver Spring, Phase 2,
परियोजना का नाम व पता	Bypass Mundla Nayata, District- Indore, N	Madhya Pradesh
खसरा नं./ क्षेत्रफल	401/1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.80 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Rafiqueganj, Tehsil- Sehore, Dis	trict- Sehore, State- Madhya
	Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	सीहोर के पत्र क्रमांक 1464
	दिनांक 25 / 5 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग	। प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 2500	0 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योज	ना अनुसार - स्टोन – 25000

	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालयं कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	कुमांक 6871 दिनांक 26 / 12 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.621 हे.
	होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 6871 दिनांक 26/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र
	कमांक 6871 दिनांक 26/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,
	दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/
	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला
	नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत रकीबगंज जिला सीहोर के ठहराव दिनांक 14/4/23
की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति
	नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र
स्थिति	क्रमांक 6871 दिनांक 26/12/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला
	सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. खदान क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसकी क्रोनोलॉजी देते हुये विवरण प्रस्तुत करें।
- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सिहत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे / व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- 5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 7. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 9. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
- 13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- 14- सी.ईं.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

# 14. Case No P-2/ 54 /2024 Shri SUNITA THAKUR, Village Arniya Ram Tehsil Ashta Distrct Sehore. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (Stone & 26000 Cubic meter per year) (Khasra No. 2/1), Village- Khandorapur, Tehsil-Ashta, Dist. – Sehore. TOR

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Sunita Thakur, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन **AGS Environmental Services Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri SUNITA THAKUR, Village Arniya Ram Tehsil Ashta Distrct
परियोजना का नाम व पता	sehore
खसरा नं./ क्षेत्रफल	2 / 1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.
(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village- Khandorapur , Tehsil- Ashta, Dist Sehore
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 17172
	दिनांक 15 / 12 / 22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 26000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार - स्टोन — 26000
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक 6453 दिनांक 30 / 11 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.0 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 6453 दिनांक 30/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं
	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 6453 दिनांक 30 / 11 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,
	दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/
	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला
	नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	
की अनापत्ति	120 दिनांक 15/8/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से
	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	
स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- $19.\,$  Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. खदान क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसकी कोनोलॉजी देते हुये विवरण प्रस्तुत करें।
- 21. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- 22. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 23. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 24. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 25. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 29. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. Case No P-2/53/2024 Shri G N Singh, Project Administrator, JERA MEDIUM IRRIGATION PROJECT, Department of Irrigation, Office of The Project Director Bina Project Management Unit, Water Resources Department, Sagar (M.P.) 474001. Prior Environment Clearance for Medium Irrigation Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM.

Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts Cat. 1(c) River Valley Project.

This is a Jera medium irrigation project. The project involving CCA > 2000 ha and < 10000 ha)", hence falls under category "B2" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

PP submitted following details on Praivesh portal 2.0

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/RIV/457425/2024. Fresh EC
2.	Project Name	Shri G N Singh, Project Administrator, JERA MEDIUM IRRIGATION PROJECT, Department of Irrigation, Office of The Project Director Bina Project Management Unit, Water Resources Department, Sagar (M.P.) 474001.
3.	Total Area	Prior Environment Clearance for Medium Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts Cat. 1(c) River Valley Project.
4.	Description of Project.	Jera Medium Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare by underground pressurized pipe sprinkler irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts comprises of Private Land 630.402 Hectare, Forest Land 25.2694 Hectare and Govt. Land 64.999 Hectare.
5.	Total Project Cost	17088 Lakhs.
6.	Forest Area applied for diversion (in Ha)	25.2694 ha.
7.	Declaration	Fresh EC Project.
8.	CCA	5400 hectare.
9.	Area proposed for green belt (in Ha)	21.8 ha.
10.	CTE/CTO Status	Will be obtained after EC.
11.	DFO NOC	Letter No. 5082 dated 01/09/2023.
12.	PWD distance letter	Letter No. 4097 dated 05/09/2023 Inter State Boundary distance -67.30 km.
13.	EMP/ Env. Con	Mr. Ravindra Bhatia, M/s R S Envirolink Technologies Pvt. Ltd.Gurugram.

		Valid up to 08/03/2026.
14.	PFR	Submit.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri G.N. Singh, Administrator, JERA medium irrigation project with the following details of the project:

- "The project has a command area of 5,400 ha; therefore as per EIA notification of September 2006 and subsequent amendment dated 14<sup>th</sup> August 2018, it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha)" and hence shall be appraised by SEIAA/SEAC, Madhya Pradesh.
- This being B2 project; Scoping Clearance, Collection of baseline data and Public Hearing is exempt; Only Environment Management Plan needs to be prepared for appraisal.

#### PROJECT OBJECTIVE

- The project is planned by WRD, MP to provide **irrigation water** to Jaisinagar Tehsil of Sagar District and Begamganj Tehsil of Raisen District.
- The project is planned to cater irrigation water to **5400 ha of CCA in 22 villages in Jaisinagar Tehsil** of Sagar District and **1 village in Begamganj Tehsil** of Raisen District.
- The project involves construction of a dam across Dhasan river, to create gross storage capacity of 24.78 MCM and live storage of 24.153 MCM.
- The project area lies in Sagar and Raisen District.
- The proposed dam site is on Dhasan river near Jera village of Jaisinagar tehsil of Sagar district in Madhya Pradesh.
- Command area of 5,400 ha is spread in Jaisinagar tehsil of Sagar district and Begamganj tehsil of Raisen district.

#### PROJECT INDEX MAP

- Proposed dam is 2295 m long Dam with a maximum height of 20.01 m (from deepest foundation level).
- Water will be lifted through two rising mains of 23.56 km and then distributed by dishnets of 93.27 km.
- A total of 24.153 MCM of water will be lifted in this scheme during Rabi season only
- Water will be delivered upto 5 ha chak, beyond which cultivators will connect their own line and sprinkler system.

#### Total land requirement of 720.6704 ha constitutes of:

Government land: 64.999 ha

Private land: 630,4020 ha

Forest land: 25.2694 ha

S. No.	Project Component	Private Land (ha)	Government Land (ha)	Forest Land (ha)	Total (ha)
1	Dam Sheet	25.9773	4.5800	0.0000	30.5573
2	Spill Channel	11.3110	0.1000	2.1100	13.5210
3	Submergence Area	593.1137	60.3190	23.1594	676.5921
Total		630.4020	64.999	25.2694	720.6704

PP submitted that proposal for Stage-I clearance for diversion of 25.2694 ha forest land has been submitted to MoEF&CC vide Proposal No. FP/MP/HYD/IRRIG/430492/2023 dated 31/05/2023. Presently, the proposal is pending at DFO/CF/Nodal Officer after acceptance in PSC-I. Total 4 villages of Jaisinagar tehsil in Sagar district and 8 villages of Begamgani tehsil in Raisen district will be affected. Total 1443 land owners from these 12 villages will be losing land only due to submergence area, dam sheet and spill channel. No displacement is involved in the project. Total Forest land: 25.2694 ha out of total forest land, Protected

Forest: 25.1333 Ha; Reserved Forest: 0.1364 Ha.

#### **Tree Enumeration**

- Out of the total 25.2694 ha of forest land required, 9.163 ha falls in Raisen division and rest 16.106 ha falls in South Sagar division.
- 9.163 ha of forest land required in Raisen division falls under Comp. PF-206, PF-209 and PF-211 of Modakpur beat.
- Total 63 trees will be affected due to acquisition of this 9.163 ha of forest land. Details are as below:
- Tree enumeration for Sagar division is yet to be done.

· Comp. No.	• Area (ha)	Affected Trees			
Comp. 140.		• Sagaun	• Satkat	• Total	
• PF-206	• 2.120	• 30	• 17	• 47	
• PF-209	• 0.150	• 0	• 6	• 6	
• PF-211	• 6.893	• 3	• 7	• 10	
• Total	• 9.163	• 33	• 30	• 63	

After presentation committee asked PP to submit response on following issues and revised/updated information in From-II, such as:

- 1. This project involves forest land of 25.2694 ha. hence, submit compartment-wise details of wild life, also submit latest wild life census report of the concerned compartments. (PP should refer District Forest Working Plan for conservation and protection of local flora and fauna.)
- 2. Study of Ecological damage and wild life conservation plan to be submitted by the PP.
- 3. CAT plan duly approved by concerned DFO shall be submitted by the PP.
- 4. Elaborate damage of flora and fauna with their conservation plan.

- 5. Furnish details of CO2 emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
- 6. प्रस्तावित परियोजना में वन क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र डूबने से मृदा के अंदर कार्बन स्टाक का कितना क्षरण होगा उसकी गणना की जावें एवं उनको दूर करने के उपाय प्रस्तुत किये जावें।
- 7. कृषि भूमि का विवरण एवं खसरावार/भूमिस्वामीवार/ कुल पौधें/तथा कटने वाले पौधों का विवरण प्रस्तुत किये जावें।
- 8. Eco- services system studies shall be carried out.
- 9. Catchment plan through forest department shall be carried out.
- 10. Under R&R plan no displacement proposed, submit details of farmer's lands which are submerging into the water.
- 11. List of farmers with details who are totally dependent for its livelihood on agricutur land and their land is coming under submergence. Such farmers shall be included in the R&R plan.
- 12. Submit muck management plan with propoer utilization.
- 13. Underground pipeline of 92.0 KM is proposed hence details to be mentioned regarding how many trees are affected / felled along with pipeline load status.
- 14. Proposed green area shall be depicted on the Map.
- 15. Disater management plan duly approved by the competent authority shall be submitted.
- 16. Detailed muck management plan considering machinery deployment, movement of trucks and cumulative effect on nearby environment.
- 17. The CER scheme with physical targets shall be approved by CEO Zila Panchayat. In the CER, overall budgetary proviosion and activities shall be incorporated as suggested bythe committee.

# 16. Case No 9346/2022 Smt. Mamta Dwivedi, Owner, Amrit Colony Gandhi Nagar Mahoba District Mahoba (U.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 133 (P)) Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Mamta Dwivedi, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स Geogreen Enviro House Pvt. Ltd., Lucknow, U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)  ख्थल  Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur(M.P.) लीज स्वीकृति लीज स्वीकृति लीज स्वीकृति लीज स्वीकृति लासिटंग प्रस्तावित है   टॉर लासिटंग प्रस्तावित है   टंग जिस्के की 601वीं बैठक दिनांक 19 / 10 / 22 को अनुसाण प्रस्तावित होरा है   टंग परिधे में नेशनल पार्क / अन्याप्ण्य / ईको सेंसीटिय जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है   टाहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अन्याप्ण्य ईको सेंसीटिय जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है   टाहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है   टाहमील है	परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व	Smt. Mamta Dwivedi, Owner, Amrit Colony Gandhi Nagar Mahoba District Mahoba (U.P.)
(सरकारी / निजी)  स्थल  Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur(M.P.)  लीज स्वीकृति  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र कमांक 2321 दिनांक 23/07/21 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर  ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर  ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।  टॉर  सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कृल रकवा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है।		Journal of the state of the sta
लीज स्वीकृति	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	133 (P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.
विनांक 23/07/21 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर व्लास्टिंग प्रस्तावित है । टॉर सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है । प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है। वन मण्डलाधिकारी की अन्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जेव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जेव विवधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 1/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।	स्थल	Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur(M.P.)
ख्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर व्लास्टिंग प्रस्तावित है ।  टॉर सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के टहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 21/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।	लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2321
संक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र कमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की परिधि में नेशनल पार्क कमंक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के टहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
क्रमांक 2128 दिनांक 25/11/22 के द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट ।  जत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् जत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् जत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है ।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के टहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 105/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।		
के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है ।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 31 / 05 / 19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।	टॉर	
ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।  प्रकरण की स्थिति  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।  500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति  31 / 05 / 19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
प्रकरण की स्थिति नया प्रोजेक्ट ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है ।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 31 / 05 / 19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 11/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है।		
घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 1/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है।	प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है ।  500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।	उत्पादन क्षमता	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छत्तरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छत्तरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छत्तरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छत्तरपुर के उहराव प्रस्ताव कमांक-3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है।		,
अन्य खदानें कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 1/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है।		
अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 1/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।		
अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।  वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र अनापत्ति कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव कमांक—3 दिनांक 1/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है।	अन्य खदानें	
वन मण्डलाधिकारी की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र अनापित कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र अनापित कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक पंचायत की अनापित 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।		
अनापत्ति कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28 / 05 / 22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 31 / 05 / 19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।  तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक पंचायत की अनापित्त 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।	अनापत्ति	
तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र अनापित्त कमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापित्त 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अनापित्त क्रमांक 1065 दिनांक 28/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।  ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापित्त 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमित है ।		
और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
में नहीं है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।	अनापत्ति	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		l
पंचायत की अनापत्ति 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।		
सहमति है ।	· ·	
	पंचायत की अनापत्ति	`
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति   खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है।	वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—18 के सरल क्रमांक—8	की स्थिति	
पर दर्ज है ।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज के आधार पर सिमित ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है एवं यदि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते है तो खनन योग्य क्षेत्र वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability भी प्रतीत नहीं होती, अतः सिमित ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability का परीक्षण कर स्पष्ट करें कि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ने उपलब्धता एवं Viability के अनुरूप पत्थर की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी एवं इसी आधार पर पुर्नरीक्षित प्रोडक्शन प्लान, गैर खनन क्षेत्र को दर्शातें हुये सरफेस प्लान एवं वृक्ष अच्छादित क्षेत्र के संरक्षण की योजना प्रस्तुत करें।

# 17. Case No P-2/56/2024 Smt. Renu, W/o Shri Ravi Gurjar, Owner, Gram Dhanela Post Dhanela Tehsil-Morena Dhanela Morena Banmore (M,.P,) -476444. Prior Environment Clearance for Atarsoha Area-1.50 ha, Stone - 49305 M3/Year, Khasra No-435, at Village -Atarsoha, Tehsil-Mau, District- Bhind, M. P. ToR Case.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Renu, W/o Shri Ravi Gurjar एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Renu, W/o Shri Ravi Gurjar, Owner, Gram Dhanela Post Dhanela Tehsil-Morena Dhanela Morena Banmore (M,.P,) - 476444 Prior Environment Clearance for Atarsoha Area-1.50ha, Stone - 49305 M³/Year, Khasra No-435, at Village -Atarsoha, Tehsil-Mau, District- Bhind, M. P. [ 444936].			
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 435, एरिया— 1.50 ha., शासकीय भूमि			
परियोजना स्थल	Village- Atarsoha, Tehsil- Mau, District- Bhind (M.P.).			
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 4208 दिनांक 03/09/2021.			
परियोजना की श्रेणी	बी—1.			
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	• Controlled Muffle Blasting. (As per Parivesh Portal up-loaded information).			
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।			
उत्पादन क्षमता	Stone - 49, 305 M <sup>3</sup> /Year,P			
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल			

परिधि में संचालित / स्वीकृत	प्रमाण-पत्र क्रमांक 5892 दिनांक 28/07/2022 अनुसार 500 मीटर			
अन्य खदानों का विवरण।	की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल			
	रकबा 8.74 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता			
	है।			
परियोजना के संबंध में डीएफओ	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल			
की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 5892 दिनांक 28/07/2022 अनुसार 10			
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव			
	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।			
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड के एकल			
जानकारी	प्रमाण-पत्र कमांक 5892 दिनांक 28/07/2022 अनुसार 500 मीटर			
	की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि			
	स्थित नहीं है।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत – अटरसोहा, जिला – भिण्ड का ठहराव प्रस्ताव क0.			
नगर परिषद्	14 दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया			
	है।			
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	खदान क्षेत्र का उत्तरी भाग वृक्षों से अच्छादित है।			
वर्तमान स्थिति				
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले			
	की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 27 के			
	सरल कमांक-45 पर दर्ज है ।			

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान क्षेत्र का उत्तरी भाग वृक्षों से अच्छादित है अतः वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडतें हुये मात्र दक्षिण दिशा में खनन कार्य प्रस्तावित करेंएवं इसी आधार पर पुर्नरक्षित प्रोडक्शन प्लान, गैर खनन क्षेत्र को दर्शातें हुये सरफेस प्लान एवं वृक्ष अच्छादित क्षेत्र के संरक्षण की योजना प्रस्तुत करें।
- 2. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेडों की उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 4. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 5. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 6. Carbon footprint
- 8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 9. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 13. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 14. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 18. Case No P-2/57/2024 Shri Nirdosh Kumar Sharma S/o. Shri Ramkhilouna Sharma Gram Bandholi, Murar, Gwalior (M.P.). Prior Environment Clearance for BANDHOULI MURUM QUARRY, AREA- 1.853 Ha., KHASRA No. 1036, SITUATED AT VILLAGE BANDHOULI, TEHSIL- CITY CENTER, DISTRICT-GWALIOR (M. P.). MURUM- 8000 Cubic Meter/Year. B-2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक SHRI NIRDOSH SHARMA, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा,(उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

मारिकोत्समा विकास	udularu uraras aru uraa araraa
पारयाजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Nirdosh Kumar Sharma S/o. Shri Ramkhilouna Sharma Gram - Bandholi, Murar, Gwalior (M.P.). Prior Environment Clearance for BANDHOULI MURUM QUARRY, AREA- 1.853 Ha., KHASRA No 1036, SITUATED AT VILLAGE - BANDHOULI, TEHSIL- CITY CENTER, DISTRICT-GWALIOR (M. P.). MURUM- 8000 Cubic Meter/Year.		
परियोजना का खसरा नं./लीज	खसरा नं.— एरिया— 1.853 ha., शासकीय भूमि		
क्षेत्रफल	1036,		
परियोजना स्थल	VILLAGE - BANDHOULI, TEHSIL- CITY CENTER, DISTRICT- GWALIOR (M. P.).		
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 16024 दिनांक 19/12/2023.		
परियोजना की श्रेणी	बी—2. Fresh EC.		
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	-		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	लागू नही।		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।		
उत्पादन क्षमता	<ul> <li>मुक्तम — 8,000 घनमीटर / वर्ष.</li> </ul>		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के		
संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का	एकल प्रमाण-पत्र 1764 दिनांक 17/11/2023 अनुसार		
विवरण।	500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत है, जिनको		
	मिलाकर कुल रकबा 3.853 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के		
एनओसी	एकल प्रमाण-पत्र 1764 दिनांक 17/11/2023 अनुसार 10		
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको		
	सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र		
-0->	स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के		
	एकल प्रमाण-पत्र 1764 दिनांक 17/11/2023 अनुसार		
	500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर	गाला इत्यादि स्थित नहां है। ग्राम पंचायत —बंधौली, जिला — ग्वालियर का ठहराव		
परिषद्	प्रस्ताव क0. 11 दिनांक 14/04/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र		
الماراط	जारी किया गया है।		
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	खदान क्षेत्र में पेड लगे हुये है। परियोजना प्रस्तावक ने		
स्थिति	बताया कि यह पेड करधई के है जिनकों गैर खनन क्षेत्र के		
	रूप में छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाया गया है।		
	3		

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा— में पावर स्टेशन लगभग 202 मी. उत्तर पश्चिम दिशा— में हाईटेंशन लाईन निकल रहीं है जिसके टावर क्रमशः 206मी., 270मी. एवं 307 मी की दूरी पर है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र 1764 दिनांक 17/11/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है एवं खदान क्षेत्र में पेड लगे हुये है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पेड करधई के है जिनकों गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाया गया है। अतः खनन हेतु 1.013 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **मुरूम —** 8000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.18 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.15 लाख प्रति वर्ष।
- 3. खनन कार्य मात्र 1.013 हे. क्षेत्र में ही किया जावेगा।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
शासकीय विद्यालय बधौली में फर्नीचर (10 नग बेंच एवं डेस्क, 4 लकडी की कुर्सी एवं टेबल और 2 अलमारी)	60,000
योग	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
2	परिवहन मार्ग में	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	गैर खनन क्षेत्र	नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
		कुल	2400

#### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No P-2/58/2024 Shri Kamlesh Parmar, Lessee, Shahpurkodiya, Tehsil - Sehore, District -Sehore, MP. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (Stone & 35550) (Khasra No. 10) village Dhaboti, Tehsil Sehore, District Sehore (M.P.) B-2.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश परमार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Kamlesh Parmar, Lessee, Shahpurkodiya, Tehsil - Sehore, District -		
परियोजना का नाम व पता	Sehore, MP		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	10 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)	,		
स्थल	village Dhaboti, Tehsil Sehore, District Sehore (M.P.)		

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के पत्र क्रमांक 1760		
	दिनांक 20/6/23 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 35550 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन — 35550 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 6724 दिनांक 12 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में		
	कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है,, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 6724 दिनांक 12/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6724 दिनांक 12/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धबोटी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 15/8/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 15 पेड लगे हुये है जिनमें से 05 पेड काटे जाने प्रस्तावित है। खदान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा गैर खनन के रूप में दर्शाया गया है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 6724 दिनांक 12/12/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । सिमति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय		

स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि खदान क्षेत्र में 15 पेड लगे हुये है जिनमें से 05 पेड काटे जाने प्रस्तावित है। खदान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा गैर खनन के रूप में दर्शाया गया है अतः खनन हेतू 1.13 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन —** 35,550 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.29 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.06 लाख प्रति वर्ष।
- 3. खनन कार्य मात्र 1.13 हे. क्षेत्र में ही किया जावेगा।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
ग्राम <b>धाबोटी</b> के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी ।	1,00,000/-
योग	1,00,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4050 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल,, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , नीम आदि।	2000
2	परिवहन के किनार व गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— करंज, जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, सिस्सू आदि।	750
3	गांव में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— संतरा, पपीता, आम,	1300

	हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला	आदि।	
		कुल	4050

#### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीधा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No. P2/29/2024 Shri DILIP SINGH, Lessee, R/o-Village-Jarha, Post-Mangwan, Tehsil-Mangwan, District-Rewa (M.P.). Prior Environment Clearance for Sitapur Stone (Gitti) & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year) (Khasra No. 432), Village-Sitapur, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP).B-2</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri DILIP SINGH, Lessee, R/o-Village-Jarha, Post-Mangwan,		
परियोजना का नाम व पता	Tehsil-Mangwan, District-Rewa (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	432 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village - Sitapur, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.)		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक		
	11419—22 दिनांक 25 / 08 / 23 द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है (माईनिंग		
	प्लान— पेज न. 18)।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–12,093		
	घनमीटर / वर्ष एवं एम सेंड-28,217 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन		

	क्षमता पत्थर—12,093 घनमीटर / वर्ष एवं एम सेंड—28,217		
	घनमीटर / वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में	,		
अन्य खदानें	क्रमांक ४०५५ दिनांक १९/१२/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में ०१		
	अन्य खदान फर्शी पत्थर हेतु रकबा 01.214 हे. क्षेत्र में स्वीकृत था, जो		
	वर्तमान में वर्तमान में निरस्त है, इस प्रकार प्रस्तावित प्रकरण बी—2		
	श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापत्ति	कुमांक 4055 दिनांक 19/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि		
	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र		
	स्थित नहीं है और खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 105 मीटर होने के		
	कारण आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष		
	प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। प्रकरण में बैठक		
	दिनांक 11/07/23 को समिति द्वारा वन सीमा से 105 मीटर की दूरी		
	छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र		
	कमांक 4055 दिनांक 19/12/23 अनुसार 200 मीटर पर एक गैर		
	आवासीय मकान स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सीतापुर जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक		
की अनापित्ति	27 / 01 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।		
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - 04		
	Tree Felling - No		
गूगल इमेज अनुसार			
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— नाला लगभग 165 मी		
	पश्चिम दिशा— आईसोलेटेड शेड लगभग 110मी. एवं 117 मी.		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	,		
स्थिति	दिनांक 19/12/23 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त		
	खदान को सम्मिलित कर लिया जावेगा ।		
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण		
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की ७३९वीं बैठक दिनांक		
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306		
	दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण		
	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।		

वन सीमा से 105 मीटर की दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमित प्रदान की गई है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन सीमा की ओर चैनलिंग फेन्सिंग का प्रस्ताव दिया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन** 35,550 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.86 लाख प्रति वर्ष।
- 3. वन सीमा से 105 मीटर की दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई है अतः वन सीमा की ओर चैनलिंग फेन्सिंग की जावें।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
श्रोगी कल्याण विकास मंडल सीतापुर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	80,000
न्जदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा	20,000
योग	1,00000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1050पौधे
2	परिवहनमार्गमें	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	50 पौधे

3	ग्रामकूड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	पीपल, मोलश्री, सिरस्, कदम्ब, कचनार, नीमआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100 पौधे
4	ग्राम एवंसमीपस्थितग्राम के ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	4800पौधे

#### अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीधा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 9348/2022 Shri Sanjeev Kumar Dixit, Owner, R/o-MS 51, Sector D, Aliganj, Lucknow District-Lucknow(U.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 133 (P)) Village- Saila, Tehsil-Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sanjeev Kumar Dixit,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स Geogreen Enviro House Pvt. Ltd., Lucknow, U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Sanjeev Kumar Dixit, Owner, R/o-MS 51, Sector D, Aliganj,			
परियोजना का नाम व	Lucknow District-Lucknow(U.P.)			
पता				
खसरा नं./ क्षेत्रफल	133 (P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.		
(सरकारी / निजी)				
स्थल	Village- Saila, Tehsil-Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.)			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2322			
	दिनांक 23 / 07 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।			
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।			
टॉर	सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र			
	क्रमांक २१३६ दिनांक २५ / ११ / २२ के द्वारा पत्थर—१,50,000 घनमीटर / वर्ष			

	के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा
उत्पादन क्षमता	ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अन्य खदानें	क्रमांक 1306 दिनांक 26/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापित्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 26/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापितत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 26/05/22 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर नदी और 500 मीटर की दूरी आवास निर्मित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सैला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 31/05/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत की सहमति है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल पत्र क्रमांक 6070 दिनांक 08/10/21 अनुसार संचालन होने जोन के उपरांत उक्त खदान डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी। सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज के आधार पर समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है एवं यदि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते है तो खनन योग्य क्षेत्र वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability भी प्रतीत नहीं होती, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित मात्रा की उपलब्धता एवं Viability का परीक्षण कर

स्पष्ट करें कि वृक्ष अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ने उपलब्धता एवं Viability के अनुरूप पत्थर कितनी मात्रा उपलब्ध होगी एवं इसी आधार पर पुर्नरक्षित प्रोडक्शन प्लान, गैर खनन क्षेत्र को दर्शातें हुये सरफेस प्लान एवं वृक्ष अच्छादित क्षेत्र के संरक्षण की योजना प्रस्तुत करें।

22- Case No. P2/307/2024 Shri Abhaya Shankar pandey, Vice President Project, SHREEJI INFRASPACE PRIVATE LIMITED, 04-105, Saumyasquare, Opp. R.H. Kapadiya, Nr. Goverdhan party plot, Thaltej, Ahedabad -380059. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.80 hectare.(25000 cum per annum) (Khasra No. 663 (P)) Village- Banjari, Tehsil- Mahidpur, District - Ujjain (M.P.) SIA/MP/MIN/460594/2024 B-2.T.P.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Abhaya Shankar pandey, Online\_एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना	Shri Abhaya Shankar pandey, Vice President Project, SHREEJI		
का नाम व पता	INFRASPACE PRIVATE LIMITED, 04-105, Saumyasquare, Opp. R.H.		
	Kapadiya, Nr. Goverdhan party plot, Thaltej, Ahedabad -380059		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	663 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.80 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Banjari, Tehsil- Mahidpur, District - Ujjain (M.P.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक		
	202 दिनांक 17 / 01 / 24 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 25000 Cum/Year हेतु आवेदन		
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone - 25000		
	Cum/Year है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल		
खदानें	प्रमाण-पत्र क्रमांक 65 दिनांक 08/1/2024 अनुसार 500 मीटर की		
	परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण		
	बी— श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल		
	प्रमाण-पत्र क्रमांक 65 दिनांक 08/1/2024 अनुसार 10 किलोमीटर		
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव		
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		

तहसीलदार की अनापित्त	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 65 दिनांक 08/1/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बंजारी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - 04 Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग उत्तर पूर्व दिशा में खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्शाया है। उत्तर दिशा— पक्का रोड लगभग 407 मी.
	दक्षिण दिशा— हालेज रोड है पश्चिम दिशा— आईसोलेटेड शेड लगभग 110 मी. एवं 117 मी. खदान का कुछ भाग उत्तर पूर्व दिशा में खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्शाया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 244 दिनांक 30/1/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—25,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.66 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये 'एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
अधोसरंचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंजारी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	80,000
2 वर्षों के बाद (अस्थायी परमिट के कारण) अगले 3 वर्षों तक पेड़ों के रखरखाव के लिए 50,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी।	50,000
Total	1,30,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, पीपल, शीशम, करंज, खामेर, चिरौल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	700
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, अर्जुन, जामुन, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय   ट्री-गार्ड के साथ	100
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीब्, महुआ अमरुद एवं नीम	2600

अपरोक्तानसार वक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौघों का रख—रखाव / मृत पौघों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौघों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौघे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्ती के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

> (चंद्र मोहन ठाकुर सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

#### Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्वित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

#### Annexure- 'C'

### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

#### Annexure- 'D'

#### General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

#### FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

#### खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :-

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

#### नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज
   गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंक्रण पश्चात् 4 से 6 पित्तयाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	पंक्ति शाकीय पीधे जैसे : खसं, घासं, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले पिरयोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे